

संचिका संख्या-02/ई0 परिवहन-42/2025 परि0

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरुणा कुमारी बि0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक (यातायात),
पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- वाहन संख्या- BR-31AR-1519 के विरुद्ध निर्गत चालान सं0-BR44938241218022894 के निरस्तीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपसे पत्रांक-1532 दिनांक-06.04.2026 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसमें वाहन स्वामी श्रमती मंजु देवी के वाहन संख्या- BR-31AR-1519 के विरुद्ध दिनांक-17.12.2024 को शमन के रूप में राशि ₹ 1,000/- का निर्गत चालान सं0- BR44938241218022894 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में आपसे प्राप्त अनुशंसा सहित संबंधित अभिलेखों की जांच विभाग स्तर पर की गयी। तदोपरान्त उक्त वाहन के विरुद्ध निर्गत त्रुटिपूर्ण चालान सं0- BR44938241218022894 को निरस्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/ई0 परिवहन-42/2025 परि0

4983

पटना, दिनांक-

18-06-26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-6-26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरुणा कुमारी वि०प्र०से०,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक (यातायात),
पटना।

पटना, दिनांक- 18-06-26

विषय :- वाहन संख्या- BR-31AR-1519 के विरुद्ध निर्गत चालान सं०-BR44938241218022894 के निरस्तीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपसे पत्रांक-1532 दिनांक-06.04.2026 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसमें वाहन स्वामी श्रमती मंजु देवी के वाहन संख्या- BR-31AR-1519 के विरुद्ध दिनांक-17.12.2024 को शमन के रूप में राशि ₹ 1,000/- का निर्गत चालान सं०- BR44938241218022894 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में आपसे प्राप्त अनुशंसा सहित संबंधित अभिलेखों की जांच विभाग स्तर पर की गयी। तदोपरान्त उक्त वाहन के विरुद्ध निर्गत त्रुटिपूर्ण चालान सं०- BR44938241218022894 को निरस्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

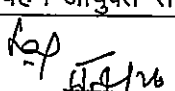
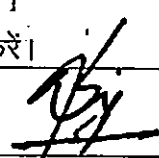
कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,

4/17-6-26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

फॉर्म-बी0 (पुलिस/यातायात पुलिस के चालानकर्ता पदाधिकारी एवं निरोधी पदाधिकारी के लिए)

चालान निरस्तीकरण के लिए आवेदन

A	चालानकर्ता पदाधिकारी की विवरणी	
i	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	ICCC प्रभारी
ii	क्षेत्राधिकार एवं जिला	Patna
iii	ई0-चालान यूजर आई0डी0	Patna-dept@nic.in
B	चालान विवरणी	
i	चालान की तिथि	17-12-2024
ii	चालान संख्या	BR44938241218022894
iii	वाहन संख्या	BR31-AR-1519
iv	वाहनस्वामी/वाहन चालक का नाम	मंजू देवी
v	चालान निर्गमन का स्थान	
vi	लागू धाराएँ (उल्लंघन के विवरणी सहित)	194(D) Without helmet,
vii	शमन की राशि (धारा-वार व कुल अंकित करें)	1000/-
C	चालान निरस्तीकरण	
i	निरस्त करने के कारण व त्रुटि को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य का विवरण	अद्योहस्ताक्षरी द्वारा एच0एच0डी0 मशीन से चालान में अपलोड वाहन को देखा गया तो पाया गया इस नम्बर पर मोटरसाईकिल निबंधित है। आई0सी0सी0सी0 में उक्त वाहन व चालान के साथ अपलोड वाहन का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन चालक एवं चालक के पीछे बैठे व्यक्ति के द्वारा हेलमेट धारण किया गया है, किन्तु हेलमेट ढूँके होने के वजह से स्पष्ट न दिखने के कारण आई0सी0सी0सी0 के कर्मी द्वारा चालान निर्गत किया गया है।
ii	स्वअभिप्रमाणन	मैंने चालान तथा सभी संबंधित कागजातों की जाँच की है तथा चालान निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये, कारणों/आधार से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तदनुसार उक्त चालान संख्या निरस्त किया जा सकता हूँ।
iii	चालानकर्ता पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
D	संबंधित निरोधी पदाधिकारी (पुलिस अधीक्षक/यातायात पुलिस अधीक्षक) की अनुमति (नाम एवं जिला सहित)	
i	क्या संलग्न कागजातों का सत्यापित किया गया है?	हाँ/नहीं अभियुक्ति (यदि निर्णय "नहीं" हो तो) - हाँ
ii	क्या आप निरस्तीकरण के कारणों से संतुष्ट हैं?	हाँ/नहीं अभियुक्ति (यदि निर्णय "नहीं" हो तो) - हाँ
iii	क्या चालान को निरस्त किया जा सकता है?	हाँ/नहीं अभियुक्ति (यदि निर्णय "नहीं" हो तो) - हाँ
iv	अभिप्रमाणन	मैंने सभी संबंधित कागजातों की जाँच की है तथा चालान निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये कारणों/आधार से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तदनुसार उक्त चालान निरस्त करने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त से अनुरोध करता हूँ।
v	अनुमति प्राधिकार-सह-निरीक्षी पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर व मुहर (संबंधित पुलिस अधीक्षक, यातायात/पुलिस अधीक्षक)	 (Sagar Kumar) अधीक्षक यातायात, पटना
vi	साक्ष्य प्राधिकारका अनुमोदन (परिवहन विभाग, मुख्यालय के उपयोग हेतु)	निर्णय:- (स्वीकृत/अस्वीकृत) अस्वीकृति के मामले में स्पष्ट कारण अंकित करें। नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर :- 

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना